


248
20

पत्रावली देमा हुई। वकील पार्थी उपा
 इस प्रकार से संबंधित मालवाह आज
 दिनांक को पार्थी द्वारा विद्वा किया जाकर
 खारिज हो चुका है। इसलिये अब इस
 प्रकार में कोई कोपवाही शेष नहीं
 रह जाती है। अतः पार्थी का प्राथमिक
 प्यार-212 210 का आचर इसी स्तर
 पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फ़ैलाप सुमार होकर नम्बर से कम है।

जेरुमान



उपखण्ड अधिकारी
 निम्नहिका (राज.)

